फाईल-5

(2018) 4 एस 0 सी0 आर 0, 270

छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

वी.

मेसर्स के के एम सी निर्माण लिमिटेड

(सिविल अपील संख्या 4257/2018) बी अप्रैल 18, 2018

(आदर्श कुमार गोयल एवं आर एम नरिमन, जे.जे.)

मध्य प्रदेश मध्यस्थ अधिकरण अधिनियम] 1983, मध्यस्थता न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार धारित, अधिनयम के अन्तर्गत गठित मध्यस्थता न्यायाधिकरण के पास विवादित प्रश्न से निपटने के लिए विशेष क्षेत्राधिकार है- विवादित निर्देश अपास्त किया गया।अधिनियम के अन्तर्गत गठित मध्यस्थता न्यायाधिकरण को मामले को स्थानांतरित कर दिया गया। मध्यस्थता अधिनियम के अन्तर्गत गठित मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण दण्ड व अन्य। वी० एल० जी० चौधरी इन्जीनियर्स व कॉन्ट्रेक्टर्स (2012) 2 एस०सी०सी० 495(2012) 2 एस सी आर 162 केस लॉ संदर्भ पर निर्भर (2012) 2 एस० सी० आर० 162 पैरा 3 ई सिविल अपील क्षेत्राधिकार पर निर्भर सिविल अपील सं० 4257 /2018 का 2016 के मध्यस्थता तथा आवेदन संख्या 44 में विलासपुर में छत्तीगढ़ उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 10-07-2018 के साथ में

एफ०सी०ए० संख्या 4258/2018 और 4259/2018 सौरभ मिश्रा, ए ए जी, जुगल किशोर गिल्डा, पुरूशेन्द्र कुमार, महाअधिवक्ता, नमन नागरथ, नीरज किशन कौल, पराग त्रिपाठी, मिस. किरन सूरी, वरिष्ठ अधिवक्तागण, हर्ष पराशर, जुबिन प्रसाद, अमन पाण्डेय, जसदीप एस. ढिल्लन, प्रभात के. चौरसिया, मिस. रेनूका साहू, जय सावला, जी अमर वरूण, शान्तनु कृष्णा, मिस. अनुसुईया सालवां, ध्रुव मिश्रा, दिव्यांशु कुमार, श्रीवास्तव, आकाश लाम्बा, वीरेन सिब्बल, विवेकानंद बी., विकास सूद, अपूर्व कूरूप, मिस. इसा मित्तल, डा० हर्ष पाठक, मिस. स्वेता महाजन, मोहित चौबे, सिद्धार्थ शुक्ला, नीरज शेखर, अर्जून गर्ग, मिश्रा सौरभ, श्रीधर पोतार्जू, सुधीर मिश्रा, प्रभात एच 270 छत्तीसगढ़ राज्य बनाम मेसर्स के एम सी निर्माण लिमिटेड कुमार, मिस. पेटल चन्डोक, मिस. अंकिता शर्मा, ऋषभ, एम. आर. शमशाद, आदित्य सम्मदर, बी. एस. बंथिया, मिस. स्वरूपमा चतुर्वेदी, सौरभ एस. सिन्हा, आदित्य देव त्रिगुना, सुनील सिंह परिहार, मेसर्स ए पी और जे चैम्बर्स, प्रफुल्ल कुमार बेहरा, मनीष के. भारद्वाज, एस. एस. नेहरा, मिस. अनुराधा मिश्रा, मिस. वंशजा शुक्ला, वरूण मोहन, स्वास्तिक सिंह, मनीष यादव, मिस. स्वरूपमा चतुर्वेदी, बी. एन. दुबे, मिस. देविका गुलाटी, हीतेन्द्रनाथ रथ, मयंक क्षीरसागर, पवेश जोशी, छवु अम्बवानी (मेसर्स ए पी और जे चेम्बर्स के लिए) बी.के. सतीजा, सुमित अत्री, के. कृष्ण कुमार, हीतेन्द्रनाथ रथ, नीलव बन्दोपाध्याय, राहुल पाण्डेय, सम्मिलित होने वाले पक्षकारों के लिए अधिवक्ता। नीचे दिया गया आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया गया है- आदेश

1- विलम्ब को क्षमा किया गया। छूट दी गयी।

2- हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और रिकार्ड का अवलोकन किया।

3- मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण और अन्य में इस न्यायालय के फैसले के मद्दे नजर । वी० एल० जी० चौधरी इन्जीनियर्स व कान्ट्रेक्टर्स, (2012) 3 एस सी सी 495 और इसी मामले में इस न्यायालय द्वारा 8 * मार्च 2018 को पारित आदेश म. प्र. म. प्र. के अन्तर्गत गठित मध्यस्थता न्यायाधिकरण मध्यस्थता

अधिकरण अधिनियम, 1983, (म. प्र. अधिनियम) के पास प्रश्न में विवाद से निपटने के लिए विशेष क्षेत्राधिकार है। तद्नुसार, मध्यस्थता और सुलह अधिनयम 1996 की धारा 11 के अन्तर्गत आक्षेपित मुकदमा कायम नही रखा जा सकता और इसे रद्द किया जाता है। पक्षकारो को मध्य प्रदेश मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष जाने का निर्देश दिया जाता है, जो मध्य प्रदेश मध्यस्थता न्यायाधिकरण के प्रावधानों के अनुसार विवाद का निर्णय कर सकता है। मध्यस्थता न्यायाधिकरण, 1983(मध्य प्रदेश अधिनयम)

5- अपीलें निस्तारित की जाती हैं।

6- पक्षकार 9 जुलाई 2018 को अग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं।

7- उत्तरदाताओ के लिए उसी दावे को दायर करने के लिए विकल्प खुला रहेगा, जो पहले से ही मध्यस्थ के समक्ष दायर किया गया है।

कल्पना के त्रिपाठी अपील का निपटारा किया।

उपरोक्त अनुवाद मेरे द्वारा किया गया।

(राजेश कुमार, पंचम)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, पाक्सो एक्ट
प्रयागराज ।
J.O CODE-U.P.6044